IMMEDIATE

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0एफ.4(2)स्थायीसमिति / विधि / पंरा / 2020 / 3666 दिनांक : 05.6.2020

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
ज़िला परिषद, समस्त (राजस्थान)।

विषय :– स्थायी समितियों के चुनाव बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा–55–क के प्रावधानानुसार पंचायतों के कियाकलापों को सम्पादित किये जाने हेतु पंचायत द्वारा स्थायी समितियों के गठन किये जाने का प्रावधान है । स्थायी समितियों का गठन एवं चुनाव की समस्त प्रकिया राजस्थान पंचायती राज (स्थायी समिति गठन) नियम, 2000 के अनुसार सम्पन्न की जाती है। राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य की जिन ग्राम पंचायतों में हाल ही में आमं चुनाव सम्पन्न होकर, निर्वाचन प्रकिया पूर्ण हो गई है, ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में स्थायी समितियों का गठन किया जाये ।

राजस्थान पंचायती राज (स्थायी समिति गठन) नियम, 2000 के नियम 3(क) के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों(जहां आम चुनाव सम्पन्न हो गए हैं) में स्थायी समितियों के निर्वाचन प्रयोजनार्थ बैठक के लिए राज्य सरकार द्वारा 15 जून, 2020 तिथि निर्धारित की जाती है । अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने ज़िले की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि को स्थायी समितियों के चुनाव हेतु नियमानुसार बैठकों का आयोजन करवा कर, चुनाव सम्पन्न होने की सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें ।

5/6
(डॉ0 आरूषी मलिक)
विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक

प्रतिलिपिः–

1. विशिष्ट सहायक, उप मुख्यमंत्री महोदय,राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा0वि0 एवं पं0 राज, जयपुर।
3. ए0सी0पी0 मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाये जाने हेतु।

उपायुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव(प्रथम)

Scanned with CamScanner